(12)

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

सेवा में,

1- कुलपति, - अध्यक्ष
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

2- पदमश्री रानीलीला राम कुमार भार्गव, - सदस्य
भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद,
मैबली किशोर इस्टेट, हजरतगंज,
लखनऊ ।

3- प्रमुख सचिव (वित्त), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

4- सचिव (उच्च शिक्षा), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5- सचिव (कृषि), - सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

6- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, - सदस्य
कृषि भवन, लखनऊ ।

7- निदेशक पशुपालन, - सदस्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- डा० एस०सी० जैन, - सदस्य
सहायक महानिदेशक (ए०पी०डी०),
आई०सी०ए०आर०, कृषि भवन,
नई दिल्ली ।

9- डा० किरन सिंह, - सदस्य
सहायक महानिदेशक (ए०एस०),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

10-चौ० विक्रम सिंह, - सदस्य
भूतपूर्व विधायक,
सैदपुर, बुलन्दशहर ।

11-श्री अतर सिंह, - सदस्य
ग्राम-बजरहाट, पोस्ट-हरदोई,
जिला-इटावा ।

12-श्री संजय डालमिया, - सदस्य
9-तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली ।

संख्या:सीएसयूवी/सी-2677-78/बोर्ड-93 दिनांक:सितम्बर 29, 1993

महोदय,

इस विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत 14-9-1993 को कानपुर में सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है ।

भवदीय,

(गिरजा शंकर श्रीवास्तव)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 93वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान	:	कुलपति कक्ष, कानपुर
तिथि	:	14.09.1993
समय	:	11 बजे (पूर्वान्ह)

उपस्थिति :

1-	डा0 एन0एन0 गोस्वामी, कुलपति	-	अध्यक्ष
2-	पद्मश्री रानी लीला राम कुमार भार्गव भूतपूर्व सदस्य विधान परिषद	-	सदस्य
3-	(1) श्री एस0के0 अग्रवाल, सचिव, उ0प्र0 शासन, कृषि विभाग (2) श्री राजीव चन्द्र, संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन, कृषि विभाग	-	सदस्य
4-	श्री ए0के0 अवस्थी, संयुक्त सचिव (वित्त)	-	प्रमुख सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि
5-	डा0 एस0सी0 जैन, सहायक महानिदेशक (ए0पी0डी0)	-	सदस्य
6-	चौधरी विक्रम सिंह	-	सदस्य
7-	श्री अतर सिंह	-	सदस्य
8-	श्री गिरजा शंकर श्रीवास्तव, अर्थ नियन्त्रक	-	सचिव

93:1 - प्रबन्ध मण्डल की 9 जुलाई, 1993 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 9 जुलाई, 1993 को सम्पन्न हुयी 92वीं बैठक का अनुमोदन किया ।

प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डा0 एस0सी0 जैन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मद संख्या 92:2 के सम्बन्ध में अवगत कराया कि डा0 जे0एन0 द्विवेदी, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय को उनके द्वारा आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है और डा0 द्विवेदी का उत्तर भी प्राप्त हो गया है जिसका परीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है । समिति के द्वारा डा0 जैन से अगली बैठक में अग्रेतर कार्यवाही से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी ।

नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल का निर्देश हुआ कि चूँकि अब शासन के द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया है, अतएव विगत में की गयी चयन की सारी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाये और नये सिरे से नियमानुकूल पूरी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये तथा जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनका भली-भाँति विधिक परीक्षण भी करवा कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी अपेक्षा की कि एक ऐसी सूची भी प्रस्तुत की जाये जिससे यह ज्ञात हो कि प्रतिबन्ध की अवधि में कितनी नवीन नियुक्तियां की गयी हैं ।

----2

93:2 - प्रबन्ध मण्डल की 92वीं बैठक दिनांक 9 जुलाई, 1993 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल दिनांक 9 जुलाई, 1993 को सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुयी ।

93:3 - चावल गेहूँ फसल प्रणाली पर शोध को सुदृढ़ीकरण विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना के अनुमोदन एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय के "चावल-गेहूँ फसल प्रणाली पर शोध को सुदृढ़ीकरण विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना" को स्वीकार एवं इस पर क्रियान्वयन करने हेतु अपना अनुमोदन यह देखते हुये प्रदान किया कि भविष्य में इससे विश्वविद्यालय या शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अधिभार नहीं होगा । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी अपेक्षा की कि इस कार्यक्रम की प्रगति से समय-समय पर उन्हें अवगत भी कराया जाये । इसी संदर्भ में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किन्हीं स्कीमों में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था Lateral transfer and redeployment के द्वारा की जाये ।

93:4 - विश्व बैंक द्वारा पोषित "यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत एडाप्टिव रिसर्च कार्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान करना ।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय को विश्व बैंक द्वारा पोषित "यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत एडाप्टिव रिसर्च कार्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की ।

93:5 - डा0 हरि गोविन्द सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय की कुलपति के पट्ट पर पुनः नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई, 1993 से 6 माह के लिये धारणाधिकार सुरक्षित रहे जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 हरि गोविन्द सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय की कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (नैनीताल) के पद पर 6: माह की पुनः नियुक्ति के फलस्वरूप उनके सेवा की अधिवर्षता की तिथि दिनांक 30-12-93 तक या नियुक्ति की अवधि समाप्त होने तक इन दोनों में जो भी पूर्व हो, धारणाधिकार सुरक्षित रखने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्देश दिया कि इस तथ्य से शासन एवं महामहिम कुलाधिपति महोदय को भी अवगत करा दिया जाये ।

93:6 - डा0 आर0पी0 सिंह, सीनियर फार्म मैनेजर के प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 9 जुलाई, 1993 के मद सं0-92:3(5) पर मांगे गये विस्तृत विवरण पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 आर0पी0 सिंह के अनुरोध को कि कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26-6-1989 के द्वारा उन्हें दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि एवं एक वार्षिक वेतन वृद्धि को निरस्त किया जाय पर सम्यक विचारोपरान्त निरस्त करते हुये कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26-6-89 की पुष्टि की । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी अपेक्षा की कि जब इनकी नियुक्ति मूलतः केवल दो वर्ष के लिये थी तो ये कैसे अब भी विश्वविद्यालय में कार्यरत है, इस प्रकरण पर अगली बैठक में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और यह भी निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में यदि माननीय न्यायालयों के कतिपय आदेश हों तो उससे भी अवगत कराया जाये ।

---3

93:7 - विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की वरिष्ठता निर्धारित किये जाने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की और यह अपेक्षा की कि समिति अपनी कार्यवाही एक माह में पूरा कर अपनी आख्या प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करें ।

समिति के सदस्य :

(1) श्री के0 डी0 श्रीवास्तव - विशेष सचिव (शिक्षा)
(2) श्री ए0के0 अवस्थी - संयुक्त सचिव (वित्त)
(3) श्री राजीव चन्द्र - संयुक्त सचिव (कृषि)
(4) कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि जो सदस्य सचिव होगा ।

93:8 - विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों की चिकित्सा हेतु अग्रिम धन स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा हेतु अग्रिम धन स्वीकृत किये जाने के प्रकरण पर यह निर्देश दिया गया कि पहले यह ज्ञात किया जाये कि इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के क्या नियम हैं तथा प्रदेश के अन्य दो कृषि विश्वविद्यालयों में क्या व्यवस्था है । इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में यह स्पष्ट करें कि वह प्रबन्ध मण्डल से क्या अपेक्षा करता है । इसी के साथ यह भी निर्देश दिया गया कि विगत में इस मद में जो अग्रिम प्रदान किये गये हैं, उनकी सूची माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाये ।

93:9 - अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :

(1) प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 7-11-92 को हुयी बैठक में मद संख्या 88:8 पर यह निर्णय लिया गया था कि डा0 शमीम अहमद खाँ, सह-प्राध्यापक, एग्रोफारेस्ट्री की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाये परन्तु विश्वविद्यालय के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुये यह निर्देश दिया कि प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में उन्हें अवगत कराया जाय कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके अन्तर्गत डा0 खाँ की सेवायें प्रबन्ध मण्डल से समाप्त करायी गयी और फिर उस पर क्रियान्वयन भी नहीं किया गया और न ही 88वीं बैठक के उपरान्त इसे बाद की बैठकों में पुर्नविचार हेतु प्रस्तुत किया गया । प्रबन्ध मण्डल ने वर्तमान कुलपति महोदय से अपेक्षा की कि वे इस प्रकरण को नये सिरे से पुन: देख लें तथा अर्थ नियन्त्रक को यह निर्देश दिया गया कि वे प्रबन्ध मण्डल की ओर से तत्कालीन कुलपति से यह

---4

पृच्छा करें कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रबन्ध मण्डल के आदेश पर क्रियान्वयन नहीं किया गया । सम्पूर्ण प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया ।

§2§ माननीय सदस्य एवं सचिव, उ0प्र0 शासन, कृषि विभाग ने यह सुझाव दिया कि प्रबन्ध मण्डल के आगामी बैठकों में अनिवार्य रूप से यह बताया जाये कि विश्वविद्यालय के द्वारा विगत त्रैमास में अनुसंधान सम्बन्धी तथा प्रसार सम्बन्धी कार्यों में क्या प्रगति हुयी ।

§3§ प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति महोदय को उनके सहायतार्थ आवश्यकतानुसार समितियों का गठन करने हेतु अधिकृत किया ।

25.9.93

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

25/9/93

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल